न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—15/2024

प्रार्थी:—

लाभूराम पुत्र भोलाराम जाति रबारी निवासी रामदेवनगर भीमगोडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री ललित जांगीड अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 15.07.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 215,219,220,262,96,97 व 98 ग्राम रामदेवगनर तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, आदि में उसका वास्तविक नाम ''लाभूराम पुत्र भोलाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम '' लाभूराम उर्फ लाला उर्फ सालू लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/799 दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड,पेन कार्ड,जन—आधार कार्ड,राशन कार्ड खसरा संख्या 120 की नकल आदि प्रस्तुत किये है।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''लाभूराम पुत्र भोलाराम '' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 215,219,220,262 में प्रार्थी [illegible] ''सालू पुत्र भोला'' व खसरा संख्या 96,97 व 98 में ''लाभूराम पुत्र भोलाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध [illegible] अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड,पेन–कार्ड व जन– आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "लाभूराम पुत्र भोलाराम" दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम "सालू व लालाराम पुत्र भोलाराम व दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व ग्राम रामदेवनगर के खसरा संख्या 120 व ग्राम पंचायत भीमगोडा के प्रमाण पत्र से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "लाभूराम पुत्र भोलाराम" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामदेवनगर के खसरा संख्या 215,219,220,262 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "सालू पुत्र भोला" व खसरा संख्या 96,97 व 98 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज "लालाराम पुत्र भोलाराम" के स्थान पर "लाभूराम पुत्र भोलाराम" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested